हिन्दुस्तान 02
पटना • सोमवार • 16 जुलाई 2018

अधूरे अपार्टमेंट में फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

आधे-अधूरे अपार्टमेंट में अब फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। बिल्डरों को फ्लैट का पूर्णता प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) देना होगा। साथ ही फ्लैटों की रजिस्ट्री के समय बिल्डर व डेवलपरों को रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का निबंधन नंबर भी देना होगा। रेरा के इस प्रस्ताव पर निबंधन विभाग ने सहमति जता दी है।

विभाग ने नगर विकास विभाग को इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। वहां से मंजूर होते ही यह नए कानून का रूप ले लेगा। इस नए कानून के बनने के बाद राज्य में उन्हीं अपार्टमेंट में फ्लैट की रजिस्ट्री होगी, जिस परियोजना का निबंधन रेरा में हो चुका है। उधर रेरा ने जब से यह कार्रवाई शुरू की है तब से संस्था में निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डर जल्दबाजी में फ्लैटों की रजिस्ट्री करा रहे हैं। ऐसे में फ्लैट खरीदने वाले भी खुश हो जाते हैं कि बिल्डर ने समय से पहले फ्लैट की रजिस्ट्री करा दी, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि रजिस्ट्री के पहले बिल्डर खरीदार से पूरा पैसा ले लेता है और नियम के अनुसार फ्लैट में जितना प्रतिशत काम हुआ है, उतना ही पैसे का हकदार बिल्डर होता है। इसके अलावा ऐसे फ्लैटधारी अगर बाद में कुछ परेशानी में फंसेंगे तो उन्हें रेरा से मदद नहीं मिलेगी। साथ ही कानून बनने के बाद ऐसा संभव भी नहीं हो सकेगा।

देश में एक मई, 2017 से रेरा एक्ट लागू हुआ है। उसके बाद शुरू हुई हर परियोजना का रेरा में निबंधन कराना अनिवार्य है। उसके बाद शुरू हुए बहुत कम अपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो चुका है। बावजूद उनमें फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई जा रही है।

रेरा की सख्ती

- बिल्डरों को फ्लैट का पूर्णता प्रमाण पत्र देना होगा
- डेवलपरों को रजिस्ट्री के समय रेरा का निबंधन नम्बर देना होगा
- प्रस्ताव पर सहमति जता निबंधन विभाग ने नगर विकास को भेजा